

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में
दीवानी याचिका अधिकारिता वाद सं.-7256/2009
में
लेटर्स पेटेंट अपील सं.-366/2018

=====

देवेंद्र कुमार सिन्हा, पुत्र- स्वर्गीय कृष्ण चंद्र प्रसाद, आयु 54 वर्ष द्वारा श्रीमती जय शंकर प्रसाद, मंगल दीप अपार्टमेंट, फ्लैट सं.22, पाटलिपुत्र कॉलोनी, थाना पाटलिपुत्र कॉलोनी, शहर और जिला-पटना।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट सेंटर, मुंबई द्वारा अध्यक्ष।
2. उपप्रबंधक, निदेशक और निगमित विकास अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, निगमित केंद्र, मुंबई।
3. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्य कार्यालय, गांधी मैदान के पश्चिम, शहर और जिले पटना में थाना गांधी मैदान।
4. महाप्रबंधक (नेट वर्क II) भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्य कार्यालय, गांधी मैदान के पश्चिम में, शहर और जिले पटना में थाना गांधी मैदान।
5. उपमहाप्रबंधक (निगरानी) भारतीय स्टेट बैंक, एल. एच. ओ. गांधी मैदान के पश्चिम, शहर और जिले पटना में थाना गांधी मैदान।
6. सहायक महाप्रबंधक (मानव संसाधन) भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रमुख अधिकारी, गांधी मैदान के पश्चिम, शहर और जिले पटना में थाना गांधी मैदान।
7. सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन) भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, भागलपुर।
8. क्षेत्रीय प्रबंधक (क्षेत्र-5) भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भागलपुर।
9. मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, गोड्डा शाखा, गोड्डा, जिला-गोड्डा, झारखंड।

10. भारत संघ द्वारा सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता भवन, द्वारा सामान्य पूल कार्यालय परिसर, ब्लॉक ए आई. एन. ए., नई दिल्ली।
11. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग संचालन और अनुशासनात्मक कार्यवाही विभाग केंद्रीय कार्यालय, शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई।

.....प्रतिवादी/गण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री चित्तरंजन सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता

सुश्री सूर्य नीलांबरी, अधिवक्ता

एस.बी.आई. के लिए : श्री राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

=====

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 - धारा 10(1)(बी)(आई)

अपील - बकाया वेतन का भुगतान - भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी - हिरासत - हिरासत की अवधि - बहाल - बकाया वेतन - आरोप - आपराधिक मामला स्थापित - बरी - एलपीए संख्या के साथ 2018 के आईए संख्या 2133 में 4-1-2019 को पारित आदेश उपरोक्त मामलों के संदर्भ में 2018 का 366 - अतिरिक्त मुद्दा उठाया गया - बरी होने के बाद समान लाभ बढ़ाया गया - बकाया वेतन का भुगतान - पिछले वेतन के संबंध में किया गया प्रस्ताव वापस ले लिया गया - विद्वान एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया - कर्मचारी बकाया वेतन का हकदार है - अपील - डिवीजन बेंच - अपील बरकरार रखी - मुआवजे के रूप में बकाया वेतन का हकदार - बैंकिंग कंपनियों पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को रोजगार देने या जारी रखने पर रोक - नैतिक अधमता से जुड़ी आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया - हिरासत की अवधि के दौरान कर्मचारी कर्मचारी नहीं है - उस अवधि के दौरान वेतन आदि के भुगतान का हकदार नहीं है - सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है - विवाद में कोई योग्यता नहीं है - शीर्ष अदालत का फैसला बाध्यकारी है - उसी पर भरोसा करना - अलग दृष्टिकोण के लिए इच्छुक नहीं है - अपील में योग्यता का अभाव है - बर्खास्त. निर्दिष्ट:

भारतीय स्टेट बैंक बनाम मोहम्मद अब्दुल रहीम (2013) 11 एससी 67

श्रीमती सुशीला देवी बनाम बिहार राज्य 2002 (3) पीएलजेआर 86

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमति अंजना मिश्रा

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख: 04-04-2019

अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री चित्तरंजन सिन्हा और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से श्री राकेश कुमार सिंह को सुना।

2. इस मामले की सुनवाई पहले भी दो बार हो चुकी है। पुनः बहाल किए जाने के बाद और आपराधिक मामले में बरी किए जाने के बाद हिरासत की अवधि के लिए पिछले वेतन के भुगतान के संबंध में उठाए गए सवाल पर विचार करते हुए, हमारे द्वारा 4 जनवरी, 2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

"2018 का आई.ए. सं. 2133

अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री सिन्हा और प्रत्यर्थी बैंक के श्री सिंह को सुनने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि देरी को पर्याप्त रूप से समझाया गया है। विलम्ब क्षमा आवेदन को स्वीकार किया जाता है। अपील को समय के भीतर माना जाएगा।

2018 का एल.पी.ए. सं. 366

अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ वकील श्री चित्तरंजन सिन्हा और प्रतिवादी भारतीय स्टेट बैंक की ओर से श्री राकेश कुमार सिंह को सुना गया। अपीलार्थी को आपराधिक मामले में शामिल होने के कारण सेवाओं

से बर्खास्त कर दिया गया था और अंततः निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया था। अपील पर, उन्हें उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था। अपने बरी होने के बाद उन्होंने उस अवधि के लिए पिछले वेतन का भुगतान करने के लिए कदम उठाया, जिसके दौरान वे आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के कारण अपनी बर्खास्तगी पर सेवाओं से बाहर रहे। यह भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने रिट याचिका दायर की जिसने इस अपील को जन्म दिया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने एस. बी. आई. बनाम मोहम्मद अब्दुल रहीम (2013) 11 एस.सी.सी. 67 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए। अभिनिर्धारित किया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 (1) (बी) (आई) के कारण अपीलार्थी किसी भी पिछली मजदूरी का हकदार नहीं था।

श्री सिन्हा ने भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक (क्षेत्र) बनाम विजेंद्र कुमार 2018 (1) पी. एल. जे. आर. 404 के मामले में खण्ड पीठ के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें उन्होंने यह आग्रह किया था कि भारतीय स्टेट बैंक बनाम मोहम्मद अब्दुल रहीम उपरोक्त मामले में खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि बरी होने पर एक कर्मचारी पिछली मजदूरी का हकदार होगा। उपरोक्त तर्क के अलावा, श्री सिन्हा ने 27 अगस्त, 2018 के पूरक हलफनामे की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री बृज भूषण, जो आपराधिक मामले में अपीलार्थी के रूप में समान रूप से आरोपी थे और जिन्हें बहाल किया गया था, को 11 फरवरी, 2015 के एक आदेश के माध्यम से एकमुश्त मौद्रिक मुआवजा दिया गया है। इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी के साथ पिछले वेतन के भुगतान के मामले में अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है या किसी भी

एकमुश्त मौद्रिक मुआवजे के भुगतान के लिए विचार नहीं किया जा सकता है जैसा कि बृज भूषण के मामले में किया गया है।

प्रत्यर्थी बैंक के विद्वान वकील उक्त आरोप के संबंध में एक उचित हलफनामा दायर कर सकते हैं जिसे 3 सप्ताह के भीतर अभिलेख पर लाया गया है।

इसके बाद मामले को 28 जनवरी, 2019 को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बरी होने के बाद लगभग इसी तरह के लाभ को बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त मुद्दा उठाया गया था जो एक बृजभूषण सिंह को मुआवजा के भुगतान में परिणत हो गया था।

4. हमने बैंक के विद्वान वकील से कहा था कि वे हमें सूचित करें कि क्या इस तरह के लाभ दिए गए हैं या नहीं। बैंक द्वारा 13 मार्च, 2019 के विकास अधिकारी के पत्र को रिकॉर्ड में लाते हुए एक हलफनामा दायर किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त कर्मचारी को मुआवजे के रूप में दिया गया प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। इस प्रकार, बैंक द्वारा उठाए गए उपरोक्त रुख को देखते हुए बृजभूषण सिंह के साथ समानता के दावे पर अब विचार नहीं किया जा सकता है।

5. श्री सिन्हा, इसलिए, अपने द्वारा उठाए गए मूल तर्क पर लौट आए कि महा प्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम बनाम विजयेन्द्र कुमार [2018 (1) पी.एल.जे.आर 404], के मामले में खण्ड पीठ द्वारा उद्धृत किए गए सिद्धांतों के मद्देनजर समान आधार को वर्तमान मामले में लागू होने का हकदार है और अपीलार्थी को बरी कर दिया गया है, वह इस तरह के निरोध के कारण सेवा से बाहर होने की अवधि के लिए पूरे पिछले वेतन/मुआवजे के भुगतान का हकदार है।

6. उपरोक्त तर्क को समझने के लिए और उसमें निर्दिष्ट सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार को भी समझने के लिए, हमने 2018 के विद्वान

एकल न्यायाधीश के निर्णय को भी पढ़ा है, जो भारतीय खाद्य निगम (ऊपर) के महाप्रबंधक (क्षेत्र) के मामले में अपील में था। दिनांक 16.09.2015 का निर्णय **भारत संघ बनाम जयपाल सिंह [(2004) 1 एस. सी. सी. 121]** और **रणछोड़जी चतुरजी ठाकुर बनाम अधीक्षण अभियंता [(1996) 11 एस. सी. सी. 603]** के मामले में सर्वोच्च न्यायालयके निर्णय के आधार पर विचार करने के लिए आगे बढ़ता है। यह इन दो निर्णयों की ताकत पर है जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 से उत्पन्न होने वाले किसी भी ऐसे मुद्दे के संबंध में नहीं थे, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने पैराग्राफ 13 में उद्धृत किया था, निम्नलिखित श्रेणियां जहां पिछले वेतन का भुगतान किया जा सकता था या अन्यथा अस्वीकार किया जा सकता था:-

"13. भारत संघ और अन्य बनाम जयपाल सिंह (ऊपर) और रणछोड़जी चतुरजी ठाकुर (ऊपर) के मामले में दो निर्णयों के संयुक्त अध्ययन से जो कानून उत्पन्न होता है, वह इस प्रकार है:

(क) जहां किसी व्यक्ति को आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और बाद में बरी कर दिया जाता है और अभियोजन नियोक्ता के कहने पर नहीं था, संबंधित कर्मचारी को पिछले वेतन से इनकार करने का अधिकार होगा।

(ख) नियोक्ता को उस अवधि के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है जिसके लिए वे नियोक्ता की सेवाओं का लाभ नहीं उठा सके, यदि विभाग को किसी भी तरह से उसे सेवा से बाहर रखने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(ग) यदि किसी कर्मचारी को शुरू में दोषी ठहराया गया था और बाद में बरी कर दिया गया था और अभियोजन नियोक्ता के कहने पर था, तो ऐसे मामलों में अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें पिछले वेतन का भुगतान शामिल हो सकता है।

(घ) प्रारंभिक दोषसिद्धि के बाद बाद में बरी होने के मामले में पिछले वेतन के भुगतान के संबंध में कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है और प्रत्येक मामले को इसकी पृष्ठभूमि में विचार करने की आवश्यकता होगी।

7. उपरोक्त श्रेणियों को निर्धारित करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे एफ. सी. आई. कर्मचारी विनियम, 1971 के नियम 8 (ए) का हवाला दिया और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त नियमों के अनुसार भी, कर्मचारी पिछले वेतन का हकदार था। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के पैराग्राफ 15 को भी नीचे उद्धृत किया गया है:

"15. इसके अलावा, मैंने पाता हूँ कि सतर्कता नियमावली और विभाग का नियम, अर्थात् एफ. सी. आई. कर्मचारी विनियम, 1971 का नियम 8 (ए) विभाग को निलंबन या कर्मचारी के खिलाफ की गई कार्रवाई या सेवा में बहाल होने की स्थिति में परिवहन भत्तों के अलावा पूरे वेतन और भत्तों का भुगतान करने का आदेश देता है। नियम 8 (ए) को आसान संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

"8. जब किसी कर्मचारी के निलंबन को अनुचित या पूरी तरह से न्यायोचित नहीं माना जाता है; या जब किसी कर्मचारी को बर्खास्त या निलंबित कर दिया जाता है, उसे पुनः बहाल किया जाता है, तो अनुशासनात्मक, अपीलीय या समीक्षा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, जिसका निर्णय अंतिम होगा, उसे कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए अनुदान दे सकता है:

(क) यदि वह सम्मानपूर्वक बरी हो जाता है, तो परिवहन भत्ते के अलावा पूरा वेतन और भत्ते यदि उसे बर्खास्त या निलंबित नहीं किया गया होता, जिसका वह हकदार होता, निर्वाह अनुदान से कम।

8. जब भारतीय खाद्य निगम (ऊपर) के महाप्रबंधक (क्षेत्र) के मामले में खंड पीठ के समक्ष अपील में मामला लाया गया था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि **भारतीय स्टेट बैंक बनाम मोहम्मद अब्दुल रहीम [(2013) 11 ए.सी.सी 67]** के मामले में निर्णय पर भी भरोसा किया गया था, उसमें प्रतिवादी याचिकाकर्ता की ओर से और उसके बाद खंड पीठ ने निर्णयों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़े और मोहम्मद अब्दुल रहीम (ऊपर) के मामले के पैराग्राफ संख्या 9 का भी संदर्भ दिया और यहां ऊपर उद्धृत किए गए विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया।

9. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिन्हा का तर्क है कि एक बार खण्ड पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक बनाम मोहम्मद अब्दुल रहीम (ऊपर) के मामले में फैसले पर विचार कर लिया है तो इसे वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए तय किया गया एक बाध्यकारी आधार भी माना जाना चाहिए और इस समन्वित पीठ को भी इसका पालन करना चाहिए, जिसके लिए वे **श्रीमती सुशीला देवी बनाम बिहार राज्य [2002 (3) पी.एल.जे.आर 86]** के मामले में खण्ड पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हैं, जिसका पैराग्राफ 15 को यहाँ नीचे उद्धृत किया गया है। यहाँ नीचे निकाला गया है:

"ध्रुव लोचन प्रधान (ऊपर) के मामले में खंड पीठ ने शुरू में ही कहा कि उक्त मामले में शामिल प्रश्न **ए. के. प्रधान** (ऊपर) के मामले में विवाद का विषय नहीं था। डिवीजन बेंच ने पाया कि शीर्ष अदालत ने उक्त मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नियमितीकरण के लिए एक निर्देश जारी किया क्योंकि उस मामले के अपीलार्थी ने सात साल की सेवा पूरी कर ली थी, जिसकी गणना उस तारीख से की जानी थी जिस दिन संस्थान को संभाला

गया था। मेरी सुविचारित राय में, जब इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की एक विशेष तरीके से व्याख्या की गई है, तो उक्त व्याख्या सभी बाद की खंड पीठ पर बाध्यकारी होगी और जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि पूर्व की खंड पीठ द्वारा दी गई व्याख्या खराब, अवैध या तर्कहीन है या इस न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार के योग्य है, तब तक व्याख्या से बचा नहीं जा सकता है। ”

10. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले के तथ्यों पर, अपीलकर्ता उन सिद्धांतों के आधार पर मुआवजे/पिछले वेतन का हकदार था जिन्हें यहां ऊपर संदर्भित किया गया है और उसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भारतीय खाद्य निगम (उपरोक्त) के महाप्रबंधक (क्षेत्र) के मामले में खंड पीठ द्वारा भी भरोसा किया गया है।

11. हालाँकि, प्रत्यर्थी बैंक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भारतीय स्टेट बैंक बनाम मोहम्मद अब्दुल रहीम (उपरोक्त) का मामला बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 10 (1) (बी) (आई) के प्रावधानों पर एक प्रत्यक्ष आधार है और भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी का एक मामला भी था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि किसी कर्मचारी के लिए निरोध या आपराधिक मामले में मुकदमा चलाए जाने के कारण रोजगार में बने रहने के लिए कोई वैधानिक प्रतिबंध है, तो उस स्थिति में कोई वेतन देय नहीं होगा और इसलिए उक्त मामले का आधार वर्तमान मामले के तथ्यों में पूरी तरह से लागू होता है। इसलिए, वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम (उपरोक्त) के मामले में निर्णय ने केवल भारतीय स्टेट बैंक बनाम मोहम्मद अब्दुल रहीम (ऊपर) के मामले का

एक संक्षिप्त संदर्भ दिया था। लेकिन जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, इसे एक बाध्यकारी आधार नहीं कहा जा सकता है और यह स्पष्ट रूप से अलग है।

12. हमने उठाई गई दलीलों पर विचार किया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम (उपरोक्त) के मामले में निर्णय ने स्पष्ट रूप से उस नियम को लागू कर दिया है जो पिछले वेतन देने के लिए उपलब्ध था जो विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के पैराग्राफ 15 में इंगित किया गया है जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है। यह ऐसा मामला नहीं था जहां कोई वैधानिक प्रतिबंध था और इसके विपरीत, इस तरह के लाभ को बढ़ाने के लिए एक नियम था।

13. इसलिए यह स्पष्ट है कि महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम (उपरोक्त) का मामला, जिसमें एक खंड पीठ द्वारा निर्णय दिया गया था और अभिनिर्धारित किया गया था कि उस अनुपात को उन सिद्धांतों के आलोक में बरकरार रखा गया था जो विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियम की सहायता लेने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से निकाले थे जो उस मामले में स्पष्ट रूप से लागू था।

14. हमारी सुविचारित राय में, एक मामला इस बात का अधिकार है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है, न कि उससे तार्किक रूप से क्या होता है। विद्वत एकल न्यायाधीश का उपर्युक्त निर्णय, जिसे खंड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया है, जिस पर भारी निर्भरता रखी गई है, एफ. सी. आई. के नियमों के नियम 8 (ए) पर एक प्राधिकरण है जो उक्त नियमों का समर्थन करने वाले सिद्धांतों के साथ इसमें शामिल थे। न तो विद्वान एकल न्यायाधीश और न ही खंड पीठ ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 (1) (बी) (आई) को स्वीकार किया था और इसलिए, उक्त निर्णय को वर्तमान मामले के तथ्यों पर एक बाध्यकारी अनुपात निर्णय नहीं कहा जा सकता है जहां 1949 का अधिनियम लागू होता है न कि एफ. सी. आई. के नियम। हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक बनाम मो. अब्दुल रहीम

(ऊपर) मामले में निर्णय ने उक्त धारा पर चर्चा की और अभिनिर्धारित किया कि प्रावधानों ने एक बैंकिंग कंपनी पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने या जारी रखने पर स्पष्ट प्रतिबंध लगा दिया है जिसे आपराधिक अदालत द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े अपराध में दोषी ठहराया गया है। यह आगे देखा गया कि यदि कर्मचारी अपीलार्थी बैंक का कर्मचारी अभिरक्षा की अवधि के दौरान या अन्यथा अधिनियम के उक्त प्रावधान के कारण नहीं रह सकता था, यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वह उस अवधि के दौरान वेतन के भुगतान का हकदार कैसे होगा। बाद में बरी होना, हालांकि उसकी दोषसिद्धि को मिटा देता है, अधिनियम के तहत दोषसिद्धि के कानूनी परिणामों को नहीं मिटाता है। इसलिए 1949 के अधिनियम की धारा 10 (1) (बी) (आई) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बाद के बरी होने का कोई असर नहीं होगा।

15. इसलिए, हम पाते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक बनाम् मोहम्मद अब्दुल रहीम (ऊपर) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। इस मामले पर पूरी तरह से लागू होता है और इसलिए, उपरोक्त विवाद में कोई योग्यता नहीं है। हमारी राय में, इस अदालत के लिए जो बाध्यकारी होगा वह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा और इसलिए, उसी पर भरोसा करते हुए, हम इस मामले में एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

16. अपील में योग्यता का अभाव है और तदनुसार खारिज किया जाता है।

(अमरेश्वर प्रताप साही, मुख्य न्यायाधीश)

(अंजना मिश्रा, न्यायमूर्ति)

सैफ/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।